न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

निगरानी कमांक–

1. गनेश, तुलाराम एवं छोटे पुत्रगण हल्के राय
2. संतोष, रामपाल, राकेश पुत्रगण चिंतामन राय
3. किशोरी तनय सटोला राय सभी निवासीगण ग्राम रामगढ़ तहसील जतारा जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

निगराकारगण

बनाम

मुकेश, दिनेश, सुरेश पुत्रगण नाथूराम राय सभी निवासीगण ग्राम रामगढ़ तहसील जतारा जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

प्रति निगराकारगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

वाद कारण दिनांक	—	15.06.2017 एवं 11.7.2017
वाद कार[illegible]करण डिकी	—	17 / अ–12 / 2016–17
वाद स्था[illegible] दित	—	ग्राम रामगढ़ तहसील जतारा जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)
विवाद भूमि खसरा अंतर्गत वाद	—	77 / 5 रकवा 1.619 हेक्टेयर

महोदय,

निगरानीकर्ता / वादीगण की ओर प्रस्तुत वाद में विनय इस प्रकार है :–

1. यह कि भूमि स्थित ग्राम रामगढ़ खसरा नं. 77 / 5 रकवा 1.619 हेक्टेयर का सीमांकन प्रतिवादी / प्रति निगराकार द्वारा कराया गया। जिसके पूर्व उक्त खसरा में तरमीम थी, जिसे निरस्त किया गया, जिसके संबंध में प्रकरण श्रीमान् राजस्व मंडल में विचाराधीन है। वाद के समय सीमांकन कराकर खसरा नक्शा मौका फील्ड बुक में कांटछांट कर दिशा एवं क्षेत्रफल में बदलाव किया गया, मौके पर पंचनामा बनाकर निगराकारगणों को भूमि पर अतिक्रामक बताकर भूमि खाली करने के निर्देश दिए गए, जिसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संहिता की

1

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/2615 गनेश विरूद्ध मुकेश आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
~~21-01-2019~~ 17.01.2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक जतारा के प्रकरण क्रमांक 17/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 15-06-2017 व 11-07-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 17/01/2019 (आर.के. जैन) सदस्य	